भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली- 110001

सं491/एमसीएमसी/2016-17 **दिनांकः 19 फरवरी,2017**

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषयः <u>उत्तर प्रदेश में मतदान के चौथे चरण में मतदान दिवस से एक दिन पहले और मतदान दिवस को प्रिंट मीडिया में राजनैतिक विज्ञापनों का पूर्व-प्रमाणन-तत्संबंधी।</u>

महोदय,

मुझे, यह कहने का निदेश हुआ कि प्रिंट मीडिया में प्रकाशित अपमानजनक और भ्रामक प्रकृति के विज्ञापनों संबंधी घटनाएं विगत में आयोग के ध्यान में लाई गई हैं। निर्वाचनों के अंतिम चरण में ऐसे विज्ञापन, निर्वाचन प्रक्रिया को दूषित करते हैं। ऐसे मामलों में प्रभावित अभ्यर्थियों और दलों के पास स्पष्टीकरण देने/खंडन करने संबंधी कोई भी अवसर नहीं होता है।

2. ऐसे उत्तेजक, भ्रामक और घृणापूर्ण विज्ञापनों के कारण कोई अप्रिय घटना न घटित हो और ऐसी घटनाएं दोहराई न जाएं, इसके लिए आयोग, संविधान के अनुच्छेद **324** के अधीन इसकी शक्तियों और इस हेतु इसे सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निदेश देता है कि राज्यएवं केन्द्र शासित क्षेत्रों में **22 एवं 23 फरवरी, 2017** को प्रिंट मीडिया में राजनैतिक दलों या अभ्यर्थियों या किसी अन्य संगठन या व्यक्ति द्वारा तब तक कोई भी विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जाएगा जब तक किप्रकाशन के लिए प्रस्तावित विज्ञापन की सामग्री को राज्य/जिला स्तर पर, जैसा भी मामला हो, एमसीएमसी से राजनैतिक दलों, अभ्यर्थी आदि द्वारा **<u>पूर्व प्रमाणित</u>** न कराया गया हो।

3. इसी प्रकार के निदेश राज्य के सभी समाचार पत्रों को भी जारी किए जाने चाहिए कि वे **22 एवं 23 फरवरी, 2017** को प्रिंट मीडिया में ऐसा कोई भी विज्ञापन प्रकाशित **<u>नहीं</u>** करेंगे **<u>जो उक्त एमसीएमसी द्वारा पूर्व-प्रमाणित न किया गया हो।</u>**

4. इसके अतिरिक्त यह भी निदेश दिए जाते हैं कि उपर्युक्त निदेशानुसार और समाचार पत्रविज्ञापनों के पूर्व प्रमाणन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, राज्य/जिला स्तर पर एमसीएमसी को तत्काल एलर्ट और क्रियाशील कर दिया जाए ताकि राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों तथा अन्यों से प्राप्त ऐसे सभी

विज्ञापनों का पूर्व-प्रमाणन और जांच की जा सके। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि एमसीएमसी द्वारा अविलम्ब निर्णय दिया जाए।

5. आयोग के उपर्युक्त निदेशों को राज्य में समाचार पत्रों और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों तथा सभी राजनैतिक दलों के अध्यक्षों के ध्यान में लाया जाए तथा सामान्यसूचनार्थ और कड़े अनुपालन हेतु जन-संचार की सभी प्रकार की मीडिया में इसका व्यापक प्रचार भी किया जाए।

6. ये निदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

7. इस संबंध में जारी किए गए अनुदेशों की एक प्रति तत्काल आयोग को भी पृष्ठांकित की जाए।

भवदीय,

(धीरेन्द्र ओझा)
निदेशक